उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-1/2015/एस0ई0-4- 415(2)/दस-2015-ई0एम0-9/13
लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन एस0एल0पी0(सी0) संख्या-6829-6830/2014-स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम इन्द्रजीत सिंह एवं अन्य में श्री एम0आर0 शमशाद एडवोकेट ऑन रिकार्ड फॉर स्टेट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को सरकार की ओर से बहस/पैरवी करने हेतु आबद्ध किया गया है।

2- प्रश्नगत मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में निर्धारित पैरवी/बहस हेतु शुल्क के एवज में श्री एम0आर0 शमशाद एडवोकेट ऑन रिकार्ड फॉर स्टेट ऑफ यू0पी0 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को विधिक/विविध खर्च हेतु रू0 30,000/-(रूपये तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय के मानक मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के सुसंगत मदों से व्यय किया जायेगा।

4- उक्त योजित रिट याचिका के संबंध में होने वाले व्यय की धनराशि के बिल बाउचर्स संबंधित द्वारा शासन को समायोजित हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1/2015/एस0ई0-4-415(3)/दस-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (लेखा) प्रकोष्ठ को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के मूल बिल/बाउचर्स इस आशय से प्रेषित कि वे रू0 30,000/-का भुगतान श्री एम0आर0 शमशाद, एडवोकेट ऑन रिकार्ड फॉर स्टेट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के यू0को0 बैंक सुप्रीम कोर्ट ब्रांच आईएफएससी कोड संख्या-यूसी बीए 0000207 के खाता संख्या-02070110016725 में ऑन लाईन करने का कष्ट करें।
(4) श्री जे0पी सिंह, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) श्री एम0आर0 शमशाद, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, बी-4(एल0जी0एफ0) जंगपुरा इक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
(6) न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in